संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010

समयबद्ध / अतिमहत्वपूर्ण

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग–4,

लखनऊः दिनांकः 12 मार्च, 2010

विषयः– सेवा संवर्गों की समस्याओं के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 03 मार्च, 2010 के द्वारा निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:–

(1) सेवा संगठनों की मांगों पर विभागीय प्रमुख सचिव/सचिवगण द्वारा प्रत्येक माह की 05 तारीख तक बैठकें आहूत कर मांगों/समस्याओं का निराकरण कराया जाय। जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण तत्काल सम्भव न हो, किन्तु विचार विमर्शोपरान्त विभाग के स्तर पर उनका निराकरण सम्भव हो, को विचार विमर्शोपरान्त विभागीय स्तर पर उनका निराकरण सुनिश्चित कराया जाय।

(2) जिन मांगों/समस्याओं का निराकरण विभाग स्तर पर सम्भव न हो, को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक कार्मिक विभाग को संदर्भित कर दिया जाय, ताकि कार्मिक विभाग द्वारा उक्त मांगों को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

(3) उपर्युक्त से संबंधित सूचना/विवरण कार्यक्रम कियान्वयन विभाग को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध करा दिया जाय, ताकि मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में कृत कार्यवाही की समीक्षा/अनुश्रवण किया जा सके।

2. दिनांक 09.3.2010 को मा. मुख्य मंत्री जी की मासिक समीक्षा बैठक में भी आपको निर्देशित किया गया है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों पर अपने स्तर पर बैठक हेतु तिथि/समय निर्धारित कर, उसकी सूचना कार्मिक विभाग को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय । उक्त सुस्पष्ट निर्देशों के बावजूद अभी तक मात्र भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग एवं परती भूमि विकास विभाग के द्वारा ही सेवा संगठनों की मांगों पर विभागीय स्तर पर बैठकों की तिथियां निर्धारित किये जाने की सूचना दी गयी है ।

3. उपर्युक्त स्थिति उचित नहीं है, अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि शासनादेश दिनांक 3.3.2010 एवं मा. मुख्य मंत्री जी की दिनांक 9.3.2010 को सम्पन्न समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेवा संगठनों की मांगों पर तत्काल बैठकें आहूत कर, समस्याओं/मांगों का निराकरण सुनिश्चित करें । जिन मांगों का विभाग स्तर पर निराकरण किया जाना संभव न हो अथवा जिनमें नीतिगत निर्णय / वित्तीय उपाशय निहित हो, को तत्काल कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय । आगामी माह से शासनादेश दिनांक 3.3.2010 में दी गयी समय–सारिणी का कठोरता से अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

4. यदि दिनांक 17 मार्च, 2010 तक बैठक हेतु निर्धारित तिथियों की जानकारी कार्मिक विभाग को नहीं दी जाती है, तो विभागीय प्रमुख सचिव/ सचिव की परिनिन्दा हेतु कार्यवाही तत्काल करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रहेगा । कोई अन्य अवसर अब नहीं दिया जायेगा ।

5. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय । अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव